न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – बिन्दू बाला राजावत, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–424 / 2010 रे वाद

दायर दिनांक :–23 / 04 / 2010

निर्णय दिनांक :–30 / 03 / 2026

अनवान्

1– बंशीलाल पिता छगनलाल व्यास निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पिता परसराम व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा मृतक के बजाय
   1 / 1 मदनलाल पिता सोहनलाल व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
   1 / 2 राधेश्याम पिता सोहनलाल व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
   1 / 3 कैलाशचन्द्र पिता सोहनलाल व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
   1 / 4 संतोष पिता सोहनलाल व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
   1 / 5 दुर्गादेवी पुत्री सोहनलाल व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
   1 / 6 यशोदादेवी पुत्री सोहनलाल व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
   1 / 7 कंचनदेवी बेवा सोहनलाल व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. मथुरालाल पिता परसराम व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
3. कन्हैयालाल पिता परसराम व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा मृतक के बजाय
   3 / 1 कमला बेवा कन्हैया व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
4. शिवलाल पिता परसराम व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
5. सुन्दरलाल पिता परसराम व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वादी की ओर से – ए.एच चुण्डिगर, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से 1.कुन्जेशचन्द्र गर्ग,अधिवक्ता

2.शान्तिलाल जाट,अधिवक्ता

वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

– : : निर्णय : : –

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया गया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा, तहसील रेलमगरा की वर्तमान जमाबन्दी में आराजी खसरा संख्या 817 कुल किता–01 कुल रकबा 1–12 एक बीघा बारह बिस्वा गांव रेलमगरा की सरहद में स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 तक के नाम पर दर्ज हैं प्रमाण में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से है, वादी एवं प्रतिवादीगण सभी एक ही मूल पुरूष बालकिशन के वंश है, स्व0बालकिशन के 3 लडके स्व0 सोराम, स्व0खुमचंद तथा स्व0लालाराम थे। स्व0सोराम के केवल मात्र एक ही लडके स्व0 रूपचंद थे, तथा स्व0रूपचंद के केवल एक ही लडके स्व0छगनलाल थे। स्व0 छगनलाल के 3 लडके श्रीलाल, स्व0बदरीलाल एवं वादी बंशीलाल हैं। उक्त स्व0खुमचंद के 3 लडके क्रमशःस्व0जीतमल, स्व. नारायण, स्व0परसराम थे। स्व0परसराम के 5 लडके है, जो वर्णित प्रतिवादीगण हैं। स्व0लालसराम लाओलाद फोत हो गये। उनके स्व0 जीतमल गोद गये। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के तथा वादी के पिता स्व0छगनलाल स्व0परसराम के भतीजे लगते थे। उक्त वादग्रस्त भूमि मौरूसी हैं। तथा उक्त भूमि आपसी पारिवारिक समझोता (फेमिली सैटलमैन्ट) अनुसार स्व0छगनलाल के हिस्से आई। स्व.परसराम व स्व0 छगनलाल के बीच संवत 1991 का माघ बुद 9 को आपसी पारिवारिक समझोता हुआ जिसकी लिखतम की गई। उक्त आपसी लिखा पढी के अनुसार वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित भूमि में से रकबा 1 बीघा भूमि वादी के स्व0 पिता स्व0छगनलाल के रखी गई व कब्जा हो गया उक्त भूमि को नाई वाला खेत भी कहते है, क्योंकि वर्षो से उक्त भूमि पर वादी के पूर्वजो की ओर से नाई लोग ही सिजारे पर काश्त करते रहे, जिससे उक्त भूमि को नाई वाला खेत भी कहते है। उक्त भूमि उक्त फेमिली सैटलमेंन्ट संवत 1991 अनुसार स्व0 छगनलाल के हिस्से व आधिपत्य में आई। उक्त भूमि के इस फेमिली सैटलमेंन्ट अनुसार निम्न पडौस थे, पूर्व आम रास्ता, पश्चिम मोहनलाल व्यास का खेत, उतर आम रास्ता, दक्षिण मगनीराम सामरा का खेत। फेमिली सैटलमेंट में वर्णित भूमि रकबा 1 बीघा के अलावा आधा बीघा यानि 10 बिस्वा भूमि स्व0परसराम एवं स्व0छगनलाल के बीच आपसी अदला बदली अनुसार आई। अर्थात स्व0छगनलाल ने अपनी अन्य भूमि नामी आडा गैला खेत रकबा 15 बिस्वा स्व0परसराम को देकर उक्त आधा बीधा भूमि ली जो कि उक्त फेमिली सैटलमेंट वाली भूमि रकबा 1 बीधा के पास में ही पाली से पाली मिली हुई थी, इस प्रकार स्व0 छगनलाल के पास भूमि रकबा डेढ बीधा हो गई। जो कि वर्तमान में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित रकबा 1 बीधा 12 बिस्वा हैं। स्व0छगनलाल का उनके जीवन काल तक तनहा आधिपत्य रहा व उनके स्वर्गवास के पश्चात स्व0छगनलाल के लडके श्रीलाल स्व0 बदरीलाल एवं वादी का आधिपत्य हो गया। छगनलाल का स्वर्गवास आज से करीब 60 वर्ष पूर्व हो गया वादी एवं उसके भाई श्रीलाल एवं बदरीलाल तीनो भाई 1967 में अलग अलग हो गये। अपने परिवार की जमीन जायदाद का आपसी मौखिक बंटवाडा कर लिया, तथा बंटवाडा अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि वादी के हिस्से में आई। तभी से आज दिन तक वादी उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 817 रकबा 1 बीधा 12 बिस्वा पर तनहा रूप से काबिज कास्त हैं। वादग्रस्त भूमि पर वर्षो से आज दिन तक वादी काबिज कास्त हैं। दिनांक 25/6/2009 को भी प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में एक पारस्परिक सहमति पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया, जिसमें यह वर्णित किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित उक्त तनहा रूप से वादी की हैं। वर्षो से ही वादी का ही तनहा आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त भूमि वादी की पैतृक भूमि हैं। यानि उक्त भूमि स्व0छगनलाल की है, तथा श्रीलाल, स्व0बदरीलाल एवं वादी के आपसी बंटवाडा अनुसार 1967 में वादी के हिस्से में आने से वादी का ही तनहा रूप से आधिपत्य चला आ रहा है, जिसको प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है, तथा उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज होने के कारण उसका लगान भी वादी के बडे भाई श्रीलाल द्वारा प्रतिवादी सोहनलाल को दिया जाता रहा है, जिसकी रसीदे भी वादी के पास में है, तथा प्रतिवादीगण ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त भूमि से हमारा कोई संबंध नही है। उक्त भूमि पूर्ण रूप से वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की है, जिस पर वादी वर्षो से तनहा रूप से उपयोग व उपभोग कर रहा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
...गारा

है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित पारस्परिक सहमति विलेख दिनांक 25 / 8 / 2009 में उक्त भूमि के पड़ौस भी नही है, जो कि फैमिली सैटलमेंट संवत 1991 में थे। इन दोनो में पूर्व तथा उत्तर दिशा का पड़ौस आम रास्ता है। तथा दोनों ही प्रलेख में पश्चिम का पड़ौस मोहनलाल व्यास का खेत है, तथा दक्षिण का पड़ौस पूर्व के फैमिली सैटलमेंट के अनुसार मगनीराम सामरा का खेत था, जिसको अमरचंद सुनार तथा बालु तेली ने खरीद लिया इन दोनों प्रलेखों में वर्णित भूमि एक ही है, जो कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित है। संवत 1991 से ही आज दिन तक वादी के पिता का उनके जीवन काल तक व उनके स्वर्गवास के पश्चात वादी का आज दिन तक उपयोग व उपभोग रहा हैं। वादी के पिता वादी का उक्त भूमि पर गत 75 वर्ष से भी अधिक समय से उपयोग व उपभोग चला आ रहा है, जिससे वादी का उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना (एडवर्स पजेशन) कानूनन परिपक्व हो चुका है। वादी कानूनन उक्त भूमि का खातेदार हो गया हैं प्रतिवादीगण उक्त भूमि के संबंध में सभी हक व अधिकार कानून समाप्त हो चुके हैं। प्रतिवादीगण ने लिखित में स्वीकार किया है कि उक्त भूमि पर वर्षो से आज दिन तक वादी तनहा रूप से उपयोग व उपभोग कर रहा है व आज इस वक्त भी वादी काबिज कास्त है, इस कारण वादी का कब्जा मुखालफाना कानूनन परिपक्व होकर वादी स्वतः खातेदार हो गया हैं। जिससे वादी उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी हैं। वादी को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। इस लिए वादी खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी हैं। वादी उक्त भूमि का तनहा रूप से वर्षो से उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहा है, व आज इस वक्त भी काबिज कास्त है, प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि उनके नाम पर होने का नाजायज फायदा उठाने पर आमादा हैं। वादी को पूर्ण रूप से भय उत्पन्न हो गया है कि कही प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड की आड में वादी से जबरन कब्जा छिनकर वादी को बेदखल न कर दे। वादी को उक्त भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित कर देंगे, जिसके लिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का भी अधिकारी है। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जावेगी तो वादी को जबरन बेदखल कर देगें, कब्जा छिन लेगे। जिसकी क्षति पूर्ति नकदी में किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी, तथा भविष्य में व्यर्थ की मुकदमें बाजी बढ़ने की संभावना हो जाएगी। वादी प्रतिवादीगण का उक्त भूमि उसके (वादी) के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित कराने हेतु बराबर कह रहा है, लेकिन प्रतिवादीगण बराबर आश्वासन देते रहे है, तथा टालम टोल करते रहे हैं। जबकि अंतिम बार वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 25. 2. 2010 को उक्त भूमि वादी के नाम पर अंकित करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने टालम बाजी कर हंकार हो गये। उक्त प्रकरण में राजस्थान राज्य आवश्यक पक्षकार होने से भूमिधारी तहसीलदार साहब, रेलमगरा को प्रतिवादी बनाये गये हैं। वाद हेतु दिनांक 25. 2. 2010 को जबकि वादी ने प्रतिवादीगण को अंतिम बार उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में उसके (वादी) के नाम पर दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण हंकार हो गये बमुकाम रेलमगरा उत्पन्न हुआ। उक्त भूमि न्यायालय आपके क्षैत्राधिकार में स्थित होने से व पक्षकारान के भी यही निवास करने से उक्त वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय आपको हैं। वास्ते अधिकार समायत व न्यायालय शुल्क की दृष्टि से वाद मुल्य 2,00,000 रूपया कायम किया जाकर वाद पत्र नियत न्याय शुल्क 5 रूपये पर अंदर मयाद प्रस्तुत हैं। वादी खिलाफ प्रतिवादीगण यह घोषित कराया जावे कि वादी वादग्रस्त भूमि जिसके खसरा संख्या 817 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार कृषक हैं। उक्त भूमि के संबंध में राजस्व रेकर्ड में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादी का नाम दर्ज कराया जावें। बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण, वादी के उक्त भूमि में शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा या हस्तक्षेप नही करे। जबरन कब्जा नही छिने, वादी को बेदखल नही करे, न तो उक्त कार्य प्रतिवादीगण स्वयं ही

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

करे, और न ही उक्त कार्य अपने नौकर, चाकर, मित्र, एजेन्ट, शुभ चिंतक आदि से ही करावे। खर्चा मुकदमा मेहनताना वकील आदि दिलाया जावें। अन्य सहायता जो कानून वादी को मिल सके दिलाई जावें। उक्त अनवान में प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–वाद पत्र की कलम संख्या 1 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। आराजी संख्या 817 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वादी के तनहा स्वामीत्व एवं तनहा आधिपत्य की नही हैं। राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 के नाम पर होना स्वीकार हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 2 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं।वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के नही होकर अलग अलग परिवारो के हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 3 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। वाद ग्रस्त भूमि मौरूसी नही होकर प्रतिवादीगण के मौरूसी है तथा कोई पारिवारिक समझोता (फैमिली सेटलमेन्ट) नही हुआ हैं। व फेमिली सेटलमेन्ट नही हुआ तो फेमिली सेटलमेन्ट से स्व.छगनलाल के हिस्से में आने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता हैं। स्व. परसराम व स्व.छगनलाल के बीच संवत 1991 का माह बुद 9 को कोई आपसी पारिवारीक समझोता उत्पन्न नही हुआ न ही लिखापढी की जब आपसी लिखापढी ही नही की गई तो वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि में से रकबा 1 बीघा भूमि वादी के स्व. पिता छगनलाल के रखी जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता हैं। न ही ऐसा कानून हो सकता हैं। न ही इस खेत को नाई वाला खेत कहते है न ही उक्त भूमि फेमिली सेटलमेन्ट संवत 1991 अनुसार स्व.छगनलाल के हिस्से व आधिपत्य में आई क्योकि 1991 में कोई फेमिली सेटलमेंन्ट नही हुआ न ही फेमिली सेटलमेन्ट हो सकता हैं। वादी व प्रतिवादीगण एक परिवार के नही हैं पडोस भी गलत वर्णित किये हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 4 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। न तो फेमिली सेटलमेंन्ट हुआ न ही 10 बिस्वा भूमि छगनलाल, परसराम के बीच आपसी अदला बदली अनुसार आई हैं। एवं न ही परसराम को खेत नामा आडा गेला की 15 बिस्वा भूमि देकर 10 बिस्वा भूमि ली हैं। न छगनलाल के पास डेड बीधा भूमि हुई हैं। न ही वर्तमान में यह भूमि 1 बीघा 12 बिस्वा हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 5 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। उपरोक्त भूमि पर न तो छगनलाल का उनके जीवन काल में तनहा अधिपत्य रहा न ही छगनलाल के स्वर्गवास के पश्चात उनके लडके श्रीलाल स्व.बद्रीलाल व वादी का अधिपत्य रहा छगनलाल का स्वर्गवास कब हुआ इसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 3 को नही हैं। वादी व उसके भाई कब अलग हुआ इसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 3 को नही हैं। जमीन का आपसी बंटवाडा बद्रीलाल, श्रीलाल व वादी ने किया हो तो इसकी जानकारी मुझ प्रतिवादी को नही हैं। किन्तु वादग्रस्त भूमि का विभाजन इनको करने का अधिकार नही हैं क्योकि यह भूमि वादी व इनके भाईयों एवं छगनलाल की नही हैं। न ही उक्त भूमि वादी के हिस्से में आई न आ सकती हें। न ही 1997 से आराजी संख्या 817 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर तनहा रूप से काबिज कास्त वादी हैं। न ही वर्षो से वादी इस भूमि पर काबिज हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 6 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है मुझ प्रतिवादी ने कोई पारस्परिक सहमति पत्र दिनांक 25. 6. 2009 को वादी के पक्ष में 100 के स्टाम्प पर निष्पादित नही किया मेरे भाईयों ने कोई सहमती पत्र इस तरह का किया हो तो इसकी जानकारी भी मुझे नही हैं। न मैने कही हस्ताक्षर किये तथा क्या इबारत लिखी इसकी जानकारी भी मुझ प्रतिवादी को नही हैं। न मेरे लिए कोई दूसरा व्यक्ति मेरी भूमि का सहमती पत्र दे सकता है व न वादी के पास उक्त भूमि है न ही मैने वादी के पास उक्त भूमि होना स्वीकार किया तथा उक्त भूमि का लगान भी श्रीलाल द्वारा परसराम को नही देकर में ही लगान जमा कराता आ रहा हूँ। इस भूमि के बारे में मैने कभी भी यह स्वीकार नही किया कि उक्त भूमि पर मेरा सबन्ध नही हो आधिकार नही है व वादी के स्वामीत्व आधिपत्य की हो ऐसा मैने कभी भी स्वीकार नही किया हैं। शिवलाल मेरा दत्तक पुत्र नही हैं। न दत्तक पुत्र माना हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 7 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। मैने कोई पारस्परिक सहमती विलेख दिनांक 25. 6. 2009 को न ही लिखा न पडोस मैने लिखे हैं। मेरे भाई ने वादी से

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मिली भगत की हो तो इसकी जानकारी मुझे नही हैं। फर्जी दस्तावेज तैयार किये हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 8 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। न तो इस भूमि पर छगनलाल का 1991 से आधिपत्य रहा न उपयोग उपभोग किया न उनके मरने पश्चात वादी ने उपयोग उपभोग किया न वादी को कब्जा मुखलफाना प्राप्त हुआ हैं। न गत 75 वर्षो से वादी व उसके पिता का अधिपत्य हैं। एक तरफ 1991 से कब्जा व उसके पिता का वादी बता रहा है दूसरी तरफ गत 75 वर्ष से भी अधिक समय से उपयोग उपभोग करना वादी अपने वाद में वर्णित कर रहा हैं। जो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। न ही वादी उक्त भूमि का कानूनन खातेदार हुआ हैं। मेरे अधिकार उक्त भूमि के संबन्ध में कानूनन समाप्त नही हुए हैं। मैने कभी भी कोई लिखित में स्वीकार नही किया है कि उक्त भूमि वादी व उसके पिता की हो एवं वादी तनहा रूप से उपयोग उपभोग कर रहा हो न यह स्वीकार किया हैं। कि वादी आज भी काबिज हो। न वादी का कब्जा मुखालफाना परिपक्व हुआ हैं। न वादी स्वतः खातेदार हो गया हैं। वादी उक्त भूमि कें संबन्ध में खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी नही हैं। न वादी खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 9 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। वादी तनहा रूप से उक्त भूमि पर काबिज नही है न उपयोग उपभोग कर रहा हैं। न इस वक्त भी काबिज कास्त हैं। मैं प्रतिवादी कोई नाजायज फायदा उठाने पर आमाद नही हूँ। मेरे से वादी को कोई भय नही है जब वादी का कब्जा नही है तो प्रतिवादी द्वारा कब्जा छिनने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है न बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न होता है वादी किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा मेरे विरूद्व प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करने की स्थिति में वादी को कोई क्षतिकारित होने वाली नही हैं। न मुकदमे बाजी बढने की संभावना है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की स्थिति में मुझ प्रतिवादी को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नकदी में संभव नही होगा एवं अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी। व मुझ प्रतिवादी को न्याय से वंचित होना पडेगा। वाद पत्र की कलम संख्या 10 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। वादी का कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ है न तो मुझे वादी ने उक्त भूमि बाबत राजस्व रेकर्ड में अंकित कराने को कहा न ही दिनांक 25. 2. 2010 को कहा जब कहा ही नही तो टालम टोल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 11 का विवरण मुझ प्रतिवादी से संबन्धित नही हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 12 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। यह वादी को कोई वाद हेतु दिनांक 25. 2. 2010 को अंतिम बार उत्पन्न नही हुआ हैं। न मुझे वादी ने कुछ कहा। यह वाद पत्र की कलम संख्या 13 का विवरण कानूनी होकर जांच से सबन्धित हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 14 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। वाद मुल्यांकन कम कायम किया हैं। न्याय शुल्क भी कम अदा किया हैं। वादी की प्रार्थना मिथ्या है इस तरह की रिलिफ वादी प्रतिवादी के विरूद्व प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। विशेष कथनः–वादी ने गलत तथ्यो व मनगढत तथ्यो को आधार बनाकर वाद पेश किया है जो चलने योग्य नही हैं। वादी ने सारे दस्तावेज फर्जी तैयार किये हैं जो मुझ प्रतिवादी के मुकाबले शुन्य रद्व व बेअसर हैं। वादी को कोई कब्जा मुखलफाना प्राप्त नही हुआ हैं। मुझ प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में इस भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई इकरार अथवा प्रलेख निष्पादित नही किया हैं। वादी व उसके पिता का वाद ग्रस्त भूमि पर कभी भी आधिपत्य नही रहा हैं। मुझ वादी का आधिपत्य है तथा मैं खातेदार काश्तकार हूँ खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त नही की जा सकती हैं। वादी ने सिविल कोर्ट से किसी भी प्रलेख बाबत डिक्री प्राप्त नही की है तथा वादी के पास कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नही हैं। अनरजिस्टर्ड तथा कथित दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह नही हैं। तथा वादी बालकिशन की भुमिया मान रहा हैं। इस बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किया हैं।परसराम की पुत्रिया लेहरबाई, अणछाईबाई, मूलीबाई जीवीत होने से आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नही बनाये हैं। तथा परसराम की बहिन चुन्नीबाई के वारिसो को एवं जीतमल, नारायण के वारिसो को भी इस मामले में आवश्यक पक्षकार होते हुए भी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

आवश्यक पक्षकार नही बनाये हैं। जिससे वादी का वाद चलने योग्य नही हैं। तथा छगन के वारिसो को भी पक्षकार वादी के अलावा नही बनाये हैं। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावे एवं विशेष हर्जा खर्चा वादी से मुझ प्रतिवादी को दिलाया जाने का आदेश बक्षावें।

दावा प्रतिवाद एवं दस्तावेजात के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई:—

1. आया वादी बादग्रस्त भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने का अधिकारी हैं?

जिम्मे —वादी

2. आया संवत 1991 का माह बुद्व 9 के आपसी पारिवारीक समझोता (फेमिली सेटलमेन्ट) अनुसार वादग्रस्त भूमि में से रकबा 1 बीधा स्व.छगनलाल के हिस्से में आई तथा 10 बिस्वा भूमि आपसी अदला बदली अनुसार स्व. छगनलाल के हिस्से में आई जो कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित 1 बीधा 12 बिस्वा भूमि है?

जिम्मे —वादी

3. आया सन 1967 में वादी व दूसरे दोनों भाई अलग अलग होने से हिस्से आपसी बंटवाडा अनुसार उक्त भूमि वादी के हिस्से में आने से वादी तनहा रूप से काबिज काश्त होना तभी से आज दिन तक वादी का कब्जा चला आ रहा हैं?

जिम्मे —वादी

4. आया दिनांक 25.6.2009 को प्रतिवादीगण ने वादी को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक सहमती पत्र निष्पादित कर दिया जिससे प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है कि उक्त भूमि पर सन 1967 से ही वादी का तनहा कब्जा चला आ रहा है। उससे पूर्व स्व. छगनलाल का कब्जा था?

जिम्मे —वादी

5. आया उक्त भूमि का लगान भी वादी द्वारा प्रतिवादी स्व. सोहनलाल को दिया जाता रहा हैं?

जिम्मे —वादी

6. आया वादग्रस्त भूमि पर गत करीब 75 वर्ष से भी अधिक समय से वादी का तनहा आधिपत्य चला आ रहा है। जिससे वादी का कब्जा कानूनन कब्जा मुखालफाना परिपक्व हो चुका है?

जिम्मे —वादी

7. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं?

जिम्मे —वादी

8 आया स्व.परसराम की पुत्रीया लेहरबाई,अणछाईबाई,मूलीबाई तथा श्रीमति चुन्नीबाई के वारिसान एवं जीतमल, नारायण के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया जिससे वादी का वाद चलने योग्य नही हैं?

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
रेलमंगरा

जिम्मे– प्रतिवादी

तनकी संख्या 01 का विवेचन में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा घोषित होने के पश्चात निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में हैं क्योंकि वादी की भूमिया होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नही किये हैं। वादी अपना हिस्सा घोषित करने में असफल रहा है जिससे तनकी संख्या 07 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती हैं। जिम्में वादीगण होकर वादीगण ने अपनी उक्त तनकी के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 बंशीलाल व्यास का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–03, 04 एवं नक्शा ट्रेस की नकल प्रदर्श–05 के प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–03, 04 का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त आराजी का कब्जा पूर्वजों के नाम से ही दर्ज राजस्व रेकर्ड है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण का नाम दर्ज रेकार्ड नही है। जहॉ तक वादीगण का अपने जवाब दावा के विशेष कथन में उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण को प्रकरण में पर्याप्त अवसर दिया जाने के बावजूद भी वादीगण द्वारा ना तो अपनी गवाह प्रस्तुत की गयी और ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये कि उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपना उक्त तनकी सिद्व करने में असफल रहे है। जिससे उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 02 आपसी परिवार समझोता (फेमिली सेटलमेन्ट) आपसी अदला बदली का होने से जिम्में वादीगण होकर तनकी संख्या 01 के अनुसरण में वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपनी उक्त तनकी को भी सिद्व करने में असफल रहने से उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में की जाती है। तनकी संख्या –03,04,05.06 भी वादी आपसी तनहा हिस्से, मुखालफाना परिपक्व लगाान एवं आपसी बंटवाडा होने का हैं लेकिन वादी अपना कब्जा करीब 75 वर्ष से भी अधिक समय से वादी का तनहा हिस्सा बताया गया एवं 25. 6. 2009 को प्रतिवादीगण ने वादी को वादग्रस्त भूमि में एक सहमती पत्र निष्पादित कर प्रतिवादीगण ने स्वीकार करना बताय कि उक्त भूमि पर सन 1967 से वादी का तनहा कब्जा चला आ रहा है, जिससे पूर्व छगनलाल का कब्जा होना बताया,लेकिन वादीगण न तनहा आधिपत्य के कोई रजिस्ट्रेट दस्तावेज साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पेश नही किये गये हैं। जिससे उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में की जाती है। वादी हिस्सा घोषित करने में असफल रहा है। जिससे उक्त अनुतोष वादी के पक्ष में नही दिया जा सकता हैं। अतः तनकी संख्या 06 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती हैं। इन सभी वचनों के आधार पर

तनकी संख्या 04 विरचित की गयी। आराजी संख्या 817 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वादी के तनहा स्वामीत्व एवं तनहा आधिपत्य की नही होकर,राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 के नाम हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के नही होकर प्रतिवादीगण के मौरूसी है तथा कोई पारिवारिक समझोता (फैमिली सेटलमेन्ट) नही हुआ, स्व.परसराम व स्व. छगनलाल के बीच संवत 1991 का माह बुद 9 को कोई आपसी पारिवारीक समझोता एवं आपसी लिखापढी नही की गई, उक्त भूमि फेमिली सेटलमेन्ट संवत 1991 अनुसार स्व. छगनलाल के हिस्से व आधिपत्य की होना प्रतित नही होता है,क्योकि 1991 में कोई फेमिली सेटलमेंन्ट न ही हुआ न ही फेमिली सेटलमेन्ट से वादी के नाम पर है वादी एवं प्रतिवादीगण एक परिवार के नही होकर न तो फेमिली सेटलमेंन्ट हुआ न ही 10 बिस्वा भूमि छगनलाल,

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

परसराम के बीच आपसी अदला बदली अनुसार भी नही की गयी,उपरोक्त भूमि पर न तो छगनलाल का उनके जीवन काल में तनहा अधिपत्य रहा न ही छगनलाल के स्वर्गवास के पश्चात उनके लडके श्रीलाल स्व.बद्रीलाल व वादी का अधिपत्य रहा,यह भूमि वादी व इनके भाईयों एवं छगनलाल की नही हैं। न ही उक्त भूमि वादी के हिस्से में हैं। न ही 1997 से आराजी संख्या 817 रकबा 1 बीधा 12 बिस्वा भूमि पर तनहा रूप से काबिज कास्त वादी हैं। न ही वर्षो से वादी इस भूमि पर काबिज हैं। प्रतिवादी ने कोई पारस्परिक सहमति पत्र दिनांक 25.6.2009 को वादी के पक्ष में 100 के स्टाम्प पर निष्पादित करना बताया है, जैसा कि प्रकरण में सुस्पष्ट है कि वादी द्वारा दिनांक 25.06.2009 की सादा लिखित को वाद का मुख्य आधार बनाया है किन्तु यह लिखित ईएक्स 1 व ईएक्स 2 न तो पंजीबद्व है और ना ही इसमें किसी पंजीबद्व दस्तावेज साथ संलग्न है, उक्त दस्वावेज पारस्परिक सहमति अनुबन्ध पत्र है, जिसके सक्षम सिविल न्यायालय में सविधा की पालना कराये जाने के वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में है, इस पारस्परिक सहमित विलेख पंजीकृत होने पर ही राजस्व न्यायालय के सुनवाई योग्य था, लेकिन राजस्व क्षैत्राधिकार नही है, वादी को रूपये 100 में प्रतिवादी द्वारा पारस्परिक सहमति पत्र 100 के स्टाम्प पर निष्पादित करना बताया है जबकि सम्पत्ति का हरस्तान्तरण पंजीबद्व होना चाहिए। यह लिखित पंजीबद्व नही होने से इसके आधार पर किसी प्रकार के विधिक स्वत्व हासिल नही हो सकते हैं। प्रतिवादी द्वारा पारस्परिक सहमती विलेख दिनांक 25.6.2009 को लिखा की छगनलाल का 1991 से आधिपत्य रहा न उपयोग उपभोग किया न ही उनके मरने पश्चात वादी द्वारा उपयोग उपभोग किया है न ही वादी को कब्जा मुखलफाना प्राप्त हुआ न ही गत 75 वर्षो से वादी व उसके पिता का अधिपत्य रहा है एक तरफ 1991 से कब्जा व उसके पिता का वादी न बताया है और दूसरी तरफ गत 75 वर्ष से भी अधिक समय से उपयोग उपभोग करना बताया जो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, न ही वादी उक्त भूमि का कानूनन खातेदार हैं। न ही वादी का कब्जा मुखालफाना परिपक्व हुआ हैं। यहा यह भी उल्लेखनिय है, कि वादी द्वारा प्रतिवादी के जवाब दावें में नवीन तथ्य उठाये गये जिनका वादी के द्वारा किसी प्रकार का खण्डन करने के लिए रिजोईन्डर प्रस्तुत नही किया गया, जिससे न्यायालय उन तथ्यों को स्वीकार किये जाने की उपधारणा धारित करती है कि वादी का मामला कम जोर हो चुका है क्योंकि प्रतिवादीया के जवाब दावा में नवीन तथ्यों को बिना किसी चुनौति के स्वीकार कर लिया हैं। अब विवादीत संख्या 08 पर साक्ष्य का अवलोकन किया जाने पर वाद पत्र के तथ्यों को मुख्य परीक्षा में दौराया गया किन्तु प्रति परीक्षण में वादी वर्षो से तनहा रूप से काबिज कास्त वादी द्वारा की है, न ही वर्षो से वादी इस भूमि पर काबिज काश्त हैं। **जिससे यह सिद्व होता हो कि वादीगण वादग्रस्त आराजी में पूर्व खातेदार हो, साथ ही वादीगण द्वारा वादपत्र में पूर्व तनहा कब्जे के कोई ठोस साक्ष्य प्रमाणिक दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किये गये हैं, जो कि उक्त वाद के लिये आवश्यक व महत्व पूर्ण निर्णायक दस्तावेज हो सकते है। तथा परसराम की पुत्रिया लेहरबाई, अणछाईबाई, मूलीबाई तथा परसराम की बहिन चुन्नीबाई एवं जीतमल, नारायण तथा छगन के वारिसो को भी पक्षकार वादी के अलावा नही बनाये हैं।** जिससे प्रतिवादीया के पक्ष में तनकी संख्या 08 साबित होती है एव वादी के द्वारा खण्डनिय साक्ष्य पेश नही करने से उक्त तनकी वादी के विरूद्व एवं प्रतिवादीया के जिम्मे रखी जाती है। **ऐसी स्थिति में वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपने वादपत्र को सिद्व करने में असफल रहे हैं।** एवं वाद वादीगण के द्वारा केवल

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मात्र उक्त वाद के जरिये प्रतिवादीगण का उक्त आराजी जो रेकर्ड के आधार पर प्रतिवादीगण का हैं, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण की उक्त तनहा कब्जे में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नही की गई है जिससे वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है।

: : आदेश : :

न्यायालय की विनम्र मत में वादी ने एक तरफ प्रतिकुल कब्जे के आधार पर वादग्रस्त भूमियों में खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गयी है दुसरी तरफ दिनांक 25/6/2009 को प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में एक पारस्परिक सहमति पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर निस्पादीत किया की वाद पत्र संख्या 1 में वर्णित भूमि पर वादी का ही कब्जा है इन प्रिरिस्थितियों में वादी को सिविल न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रदर्श 01 के आधार पर अनुतोष प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिए सक्षम था इसी सहमति के आधार पर किसी प्रकार का विरोधाभासी अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता जहा ट्रासक्रिफीट बनाकर प्रस्तुत नही किया गया जिससे प्रदर्श 2 को साबित नही कराया जा सका उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के द्वारा साक्ष्य के अभाव में एवं क्षैत्राधिकार के अभाव में वादी का वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार कर खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनाक 30/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी :– बिन्दू बाला राजावत आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :–424 / 2010 रे वाद

दायर दिनांक :–23 / 04 / 2010

निर्णय दिनांक :–30 / 03 / 2026

अनवान्

1. बंशीलाल पिता छगनलाल व्यास निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पिता परसराम व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा मृतक के बजाय
   1 / 1 मदनलाल पिता सोहनलाल व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
   1 / 2 राधेश्याम पिता सोहनलाल व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
   1 / 3 कैलाशचन्द्र पिता सोहनलाल व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
   1 / 4 संतोष पिता सोहनलाल व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
   1 / 5 दुर्गादेवी पुत्री सोहनलाल व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
   1 / 6 यशोदादेवी पुत्री सोहनलाल व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
   1 / 7 कंचनदेवी बेवा सोहनलाल व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. मथुरालाल पिता परसराम व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
3. कन्हैयालाल पिता परसराम व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा मृतक के बजाय
   3 / 1 कमला बेवा कन्हैया व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
4. शिवलाल पिता परसराम व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
5. सुन्दरलाल पिता परसराम व्यास ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वादी की ओर से – ए.एच चुण्डिघर, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से 1.कुन्जेशचन्द्र गर्ग,अधिवक्ता

2.शान्तिलाल जाट,अधिवक्ता

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

– : : निर्णय : : –

न्यायालय की विनम्र मत में वादी ने एक तरफ प्रतिकुल कब्जे के आधार पर वादग्रस्त भूमियों में खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गयी है दुसरी तरफ दिनांक 25/6/2009 को प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में एक पारस्परिक सहमति पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर निस्पादित किया की वाद पत्र संख्या 01 में वर्णित भूमि पर वादी का ही कब्जा है इन प्रिस्थितियों में वादी को सिविल न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रदर्श 01 के आधार पर अनुतोष प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिए सक्षम था इसी सहमति के आधार पर किसी प्रकार का विरोधाभासी अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता जहा ट्रासक्रिफीट बनाकर प्रस्तुत नही किया गया जिससे प्रदर्श 02 को साबित नही कराया जा सका उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के द्वारा साक्ष्य के अभाव में एवं क्षैत्राधिकार के अभाव में वादी का वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार कर खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनाक 30/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा